भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3466

जिसका उत्तर सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

साइबर धोखाधड़ी संबंधी धनराशि की वापसी

†3466. डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

श्री तमिलसेल्वन थंगा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देशभर में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के खाताधारकों के साथ बड़ी संख्या में साइबर धोखाधड़ी हुई है, इनकी सूचना मिली है और राशि की हेराफेरी की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे एसबीआई लाभार्थी खातों को फ्रीज करने के बाद साइबर-अपराधियों के एसबीआई खातों में अंतरित की गई धोखाधड़ी की कुल राशि शिकायतकर्ताओं को वापस कर दी गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली सहित देशभर में ऐसे एसबीआई खाताधारकों की कुल संख्या कितनी है, जिन्होंने इस तरह की साइबर धोखाधड़ी के कारण अपनी धनराशि गंवाई है; और

(ङ) बैंकों द्वारा इस तरह की साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए किए जा रहे सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है और ग्राहक की धनराशि की सुरक्षा हेतु साइबर धोखाधड़ी को रोकने में विफल रहने वाले ऐसे बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिनांक 15.07.2024 के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के संबंध में संशोधित मास्टर निदेशों के अंतर्गत, डिजिटल सिस्टम से संबंधित विवादित, संदिग्ध या धोखाधड़ी के प्रयास के लेनदेन को बैंक द्वारा धोखाधड़ी के रूप में घोषित किए जाने पर ही धोखाधड़ी निगरानी रिटर्न (एफएमआर) के माध्यम से तभी रिपोर्ट किया जाता है तदनुसार, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने नीचे उल्लिखित डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों का विवरण प्रस्तुत किया है :-

वित्तीय वर्ष	**धोखाधड़ी की संख्या**	**शामिल राशि (करोड़ रुपए में)**
2023-24	13,319	96.65
2024-25	10,465	67.52
2025-26	20	3.59*

*15 जुलाई, 2024 को धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर संशोधित आरबीआई मास्टर निदेश जारी करने के बाद, बैंक केवल उन भुगतान प्रणाली से संबंधित लेनदेन की रिपोर्ट कर रहे हैं, जिन्हें धोखाधड़ी निगरानी रिटर्न के माध्यम से बैंकों पर की गई धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया गया है।

इसके अलावा, एसबीआई ने सूचित किया है कि एसबीआई लाभार्थी खातों को फ्रीज करने के बाद साइबर अपराधियों के एसबीआई खातों में अंतरित की गई धोखाधड़ी की कुल राशि शिकायतकर्ताओं को निम्निलिखित विवरण के अनुसार वापस कर दी गई है।

वित्तीय वर्ष	**रिफंड की गई राशि (लाख में)**
2023-24	12.38
2024-25	214.58
2025-26	858.72

(ङ): सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी को रोकने और डिजिटल भुगतान क्षेत्र की साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) धोखाधड़ी वाले लेन-देन के कारण ग्राहकों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने में सहायता करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 जुलाई, 2017 के परिपत्र के माध्यम से बैंकों को अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के मामलों में ग्राहकों की देयता (जैसे शून्य देयता, सीमित देयता और बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार देयता) को सीमित करने के निदेश जारी किए। इसके अलावा, आरबीआई ने हाल ही में छोटे मूल्य के धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के लिए मुआवजे पर संशोधित निदेश जारी किए हैं, जिसमें डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के शिकार होने वाले पात्र ग्राहकों के लिए 50,000 रुपये तक की एकमुश्त प्रतिपूर्ति सुविधा शुरू की गई है, जो उनके निवल हानि का 85 प्रतिशत या 25,000 रुपये, जो भी कम हो, के अधीन है। संशोधित ढांचे का उद्देश्य डिजिटल भुगतान प्रणालियों में उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करते हुए ग्राहकों को त्वरित वित्तीय राहत प्रदान करना है।

(ii) आरबीआई ने 18 फरवरी, 2021 को डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मास्टर निदेश जारी किया है, जिसमें डिजिटल भुगतान की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सुरक्षा नियंत्रण की सलाह दी गई है। इसके अलावा, बाजार संबंधी आसूचना और बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई घटनाओं के आधार पर, बैंकों को विभिन्न जोखिमों के बारे में जागरूक करने और त्वरित निवारक/सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सलाह जारी की जाती है।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक साइबर लचीलेपन का मूल्यांकन करने के लिए ऑनसाइट आईटी परीक्षा सहित साइबर सुरक्षा तत्परता परीक्षा भी आयोजित करता है। जांच के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आरबीआई द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन न करने के लिए 17 बैंकों के विरुद्ध मौद्रिक जुर्माना लगाने के रूप में प्रवर्तन कार्रवाई की है।
